मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 827/2022 कैलाश सिंह एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड़ राज्य में पारित आदेश दिनांक 06.01.2023 के अनुपालन में गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या:–

पृष्ठभूमिः–

उत्तराखण्ड़ राज्य के पर्वतीय जिले बागेश्वर में स्थित कपकोट तहसील के क्षेत्रान्तर्गत ग्राम–सोराग के तोक उनिया अत्यंत दूरस्थ एवं उच्च हिमालयी क्षेत्रों के समीप अवस्थित है। तहसील कपकोट के क्षेत्र सोराग उच्च हिमालयी क्षेत्र के समीप होने के साथ ही अपार प्राकृतिक सुन्दरता से आच्छादित है। जहॉ की भौगोलिक संरचना अत्यंत जटिल एवं पास्थितिकी अत्यंत दुर्लभ है। जहॉ एक ओर पिण्डारी, सुन्दरढुंगा, मैकतोली जैसे उच्च हिमालयी पर्वत श्रेणीयॉ है वही दूसरी ओर इन ग्लेशियरों से निकलने वाली सदावाहिनी नदीयां प्रवाहित है। जो हमेशा से सैलानियों के आकर्षण का केन्द्र रहा है। यह स्थल विषम भौगोलिक संरचना वाले क्षेत्र है। जिस क्षेत्र में प्राकृतिक आपदायें घटित होती रहती है। तहसील कपकोट के क्षेत्रान्तर्गत ग्राम–सोराग के तोक उनिया अक्षांश 30°04'59.8008" तथा देशान्तर 79°53'06. 1008" के अन्तर्गत अवस्थित है। निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित खनन क्षेत्र में किसी भी प्रकार की खनन गतिविधियॉ दृष्टिगोचर नहीं हुयी है।

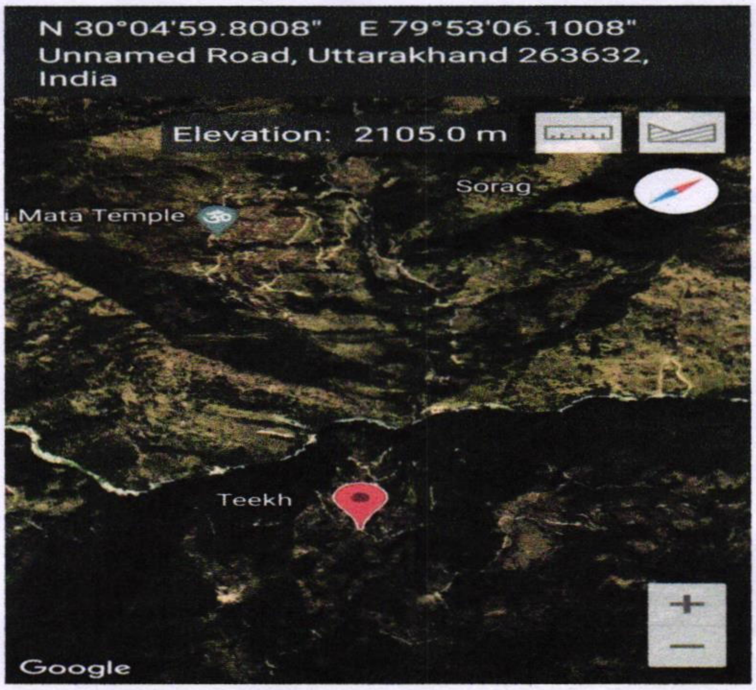

Fig. (01) Location of the area (Source: Google Earth)

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा कैलाश सिंह निवासी सोराग एवं अन्य के संयुक्त हस्ताक्षरित शिकायती पत्र दिनांक 21.06.2022 का संज्ञान लेते हुए ग्राम– सोराग, तहसील कपकोट, जिला–बागेश्वर में आवासीय भवनों, पर्यावरणीय क्षति तथा पेडों आदि का अवैध खनन से हो रहें नुकसान का स्थलीय संयुक्त निरीक्षण करवायें जाने के संबंध में दिनांक 06.01.2023 को आदेश पारित किये गये है। जिसका प्रभावी अंश निम्नवत हैः

2. Grievance is that illegal mining by blasting is being carried out at village Sorag, Tehsil-Kapkot, Distt- Bageshwar which is affecting and damaging houses of the villagers besides causing environment hazard and also affecting more than 4000 trees standing in the area. It is also said

that there is apprehension of drying of two storm water drains running in nearby area and also likely to affect grazing land of the village.

3. In our view, before taking any further action in the matter, it would be appropriate to obtain a factual report, for the purpose whereof, we constitute a committee comprising State PCB, District Magistrate, Bageshwar and Divisional Forest officer, Bageshwar who shall visit the site, verify the facts and file factual and action taken, if any report within two month form today by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. Nodal agency will be the State PCB for Coordination and compliance.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा परित आदेशों की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–01)**

उक्त आदेशों क्रम में सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूकेपीसीबी/एचओ/सा0–183–651/2023/1658 दिनांक 18.01.2023 के द्वारा आदेशित विभागों के निम्न नामित सदस्यों के द्वारा दिनांक 02.02.2023 स्थलीय संयुक्त निरीक्षण में प्रतिभाग किया गया।

1. जिलाधिकारी, बागेश्वर के प्रतिनिधि श्रीमती मोनिका, उपजिलाधिकारी कपकोट, बागेश्वर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग के प्रतिनिधि श्री शंकर दत्त पाण्डे वनक्षेत्राधिकारी, ग्लेशियर वन क्षेत्र, कपकोट, बागेश्वर।
3. डा0 डी0के0 जोशी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी।

संयुक्त निरीक्षण के समय शिकायतकर्ता श्री कैलाश सिंह एवं ग्रामवासी उपस्थित रहें। इसके अतिरिक्त निम्न अधिकारी/कार्मिक भी संयुक्त निरीक्षण में सम्मलित रहें।

1. पूजा शर्मा तहसीलदार–कपकोट, बागेश्वर।
2. चंद्र प्रकाश नायब तहसीलदार शामा कपकोट, बागेश्वर। **(उपस्थिति संलग्नक–02)**

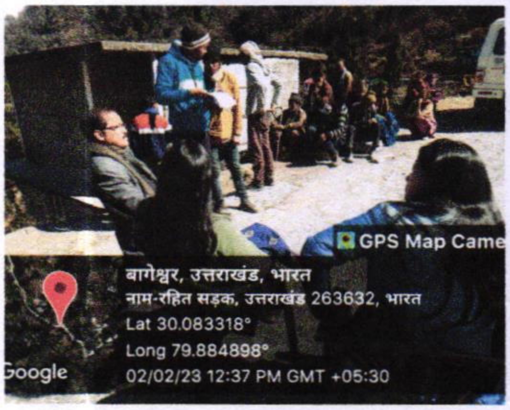

(संदर्भित शिकायती स्थल की फोटोग्राफ)

संदर्भित शिकायती स्थल की संयुक्त निरीक्षण आख्या बिन्दुवार निम्नवत हैः–

1–आवेदक का कथन है कि प्रस्तावित खड़िया खनन का स्थान उॅगियॉ गॉव के ठीक ऊपर स्थित है। उस स्थान से 45 डिग्री का ढलान है, जिस से बस्ती व कास्तकारों की भूमि को क्षति हो सकती है। भविष्य में जान–माल का नुकसान हो सकता है।

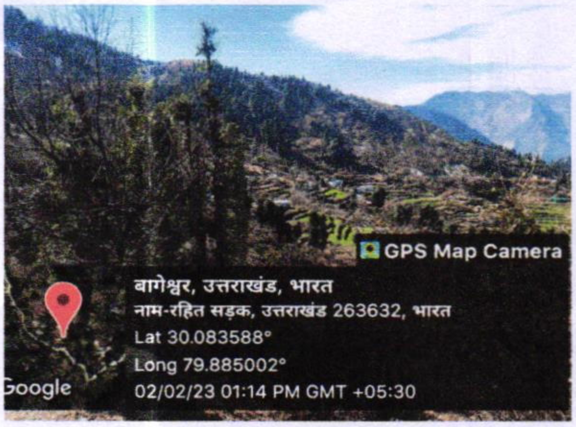

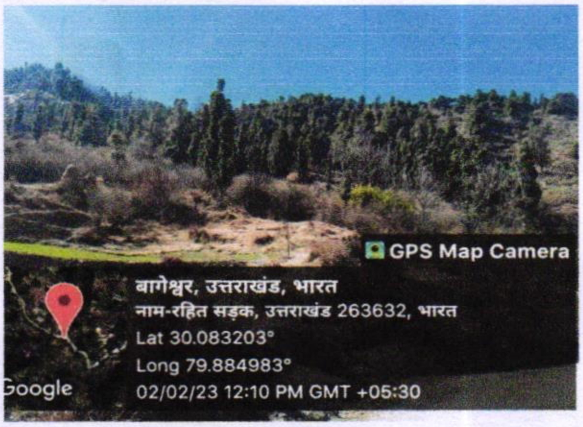

(संदर्भित शिकायती स्थल की फोटोग्राफ)

समिति उक्त कथन से सहमत है।

प्रस्तावित खनन क्षेत्र ग्राम सोराग के तोक उंगिया उपर स्थान रांगढूँगा में प्रस्तावित है। उक्त स्थान काफी तीव्र ढालदार भूमि है जिसके नीचे ग्राम थे लगभग तोक उंगिया के काश्तकारों की कृषि भूमि अवस्थित है। **(संलग्न–03)**

2– आवेदक का कथन है कि प्रस्तावित स्थान पर बॉज, तेलंग, खरसू, बुरांश आदि के लगभग चार हजार पेड़ विद्यमान हैं। जिनको क्षति पहुँच सकती है।

उक्त बिंदु के सम्बंध में वन क्षेत्राधिकारी कपकोट द्वारा अपने पत्रांक संख्या 306/9–1 (सोपस्टोन) कपकोट दिनांक 08 फरवरी, 2023 से अवगत कराया गया कि दिनांक 04 फरवरी, 2023 को नाप भूमि ग्राम पंचायत सोराग के तोक उंगीया में प्रस्तावित खड़िया खनन क्षेत्र में प्रभावित वृक्षों की गणना राजस्व विभाग के प्रतिनिधि, वनविभाग के प्रतिनिधि एवं शिकायतकर्ताओं तथा ग्रामीणों की उपस्थिति में की गयी। प्रस्तावित क्षेत्र में प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची निम्नानुसार है:–

ग्लेशियर रेंज, बागेश्वर वन प्रभाग											
क्र0 सं0	प्रजाति	0–10	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	योग
01	तिलौज	05	07	13	08	02	03	02	03	01	44
02	खरसौ	–	–	02	–	–	–	–	02	–	04
03	बॉज	02	01	10	03	01	01	–	–	–	18
04	पॉगर	–	–	–	–	–	–	–	02	–	02
05	अंगू	–	–	01	01	01	–	–	–	–	03
06	मेहल	03	02	–	–	–	–	–	–	–	05
07	उतीस		05	06	04	02	03	–	–	–	20
08	**योग**	10	15	32	16	06	07	02	07	01	96

इसके अतिरिक्त वन विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट के सम्बंध में यह भी अवगत कराया गया है कि नाप भूमि ग्राम पंचायत सोराग के तोक उंगिया में प्रस्तावित सोपस्टोन खननपट्टा 7.481 है0 भूमि से लगी राज्य सरकार की भूमि व अन्य भूमि में भविष्य में लगभग 4000 वृक्षों व पौधों को खनन करने के उपरान्त भूधसॉव व भूस्खलन से प्रभावित होने की संभावना है। प्रस्तावित क्षेत्र से आरक्षित वन भूमि की दूरी 0.50 किमी0 है तथा प्रस्तावित क्षेत्र से वनपंचायत की सीमा आवेदित क्षेत्र से लगी है। **(संलग्नक–04)**

3– आवेदक का कथन है कि प्रस्तावित क्षेत्र में बंदोबस्ती मानचित्र के अनुसार गोचर भूमि भी है जिससे काश्तकारों के मवेशी चुगान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

समिति उक्त कथन से सहमत है।

प्रस्तावित खनन क्षेत्र से लगी ग्राम की गोचर पनघट भूमि है जो ग्राम के बंदोबस्ती भूमि के अनुसार दर्ज अभिलेख है। जिसमें ग्राम के तोक उंगिया के ग्राम वासियों के मवेशी/जानवरों का चराई स्थान है। तथ्यों की पुष्टि तहसीलदार कपकोट द्वारा भी की गयी है। **(संलग्नक–03 के अनुसार।)**

4– आवेदक का कथन है कि इस क्षेत्र में सदानीरा दो नाले बहते है। खनन से इनका पानी सूखने का खतरा हो सकता है।

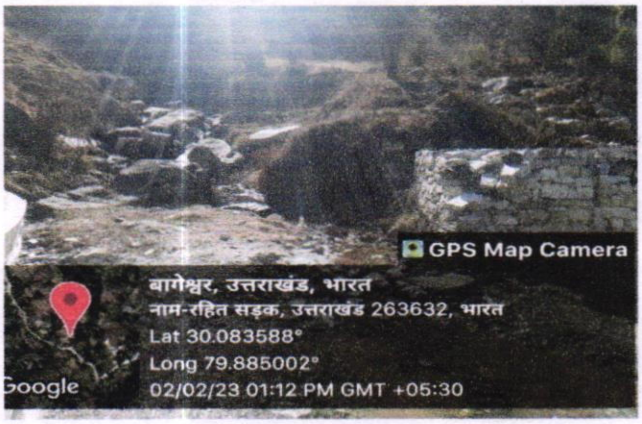

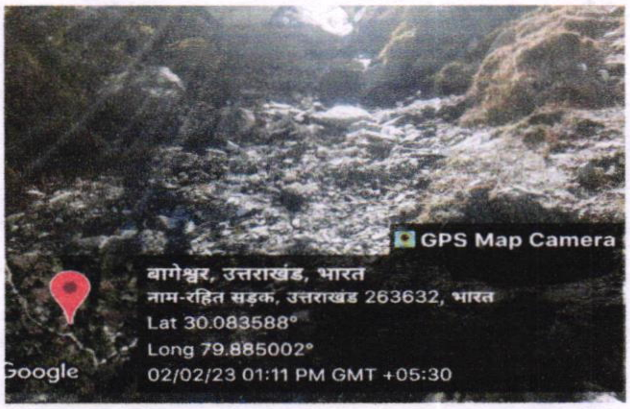

(संदर्भित शिकायती स्थल की फोटोग्राफ)

उक्त बिंदु के सम्बंध में अवगत कराना है कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र मे क्रमशः दो (02) वर्ष भर जल प्रभाव वाले सदाबहार नाले अवस्थित हैं। उक्त नालों के पानी का प्रयोग ग्रामवासी करते हैं, जोकि बंदोबस्ती अभिलेखों में दर्ज अभिलेख है। **(संलग्नक–03 के अनुसार।)**

5– आवेदक का कथन है कि इस क्षेत्र मे श्री प्रताप सिंह खुशाल सिंह का पक्का मकान है तथा कुछ गौशालायें भी है।

समिति उक्त कथन से सहमत है।

उक्त बिंदु के सम्बंध में अवगत कराना है कि है कि प्रस्तावित भूमि पर प्रताप सिंह पुत्र श्री खुशाल सिंह का पक्का मकान एवं ग्रामीणों की गौशाला स्थित हैं। जिसमें प्रताप सिंह उपरोक्त मय परिवार निवासरत् है तथा उक्त गौशालाओं में ग्रामवासियों के जानवर मवेशी रहते हैं।

6– आवेदक का कथन है कि यह भू–स्खलन संभावित क्षेत्र है, वर्ष 2012 से अद्यतन कई भू–स्खलन तथा भूमि का धसॉव हुआ है, इस वर्ष उगियॉ के निचले भू–भाग में 500 मीटर का भंयकर भू–स्खलन हुआ है तथा उगियॉ–तीख के बीच वाले भू–भाग में विगत वर्षो भू–स्खलन हुआ है।

इस संदर्भ में जिलाधिकारी बागेश्वर द्वारा अपने पत्र संख्या–62/30–18/खनन/2022–23 दिनांक 22.12.2022 द्वारा कपकोट क्षेत्रान्तर्गत उच्च हिमालयी क्षेत्रों के समीप खडिया खनन हेतु प्राप्त आवेदनों में उच्च स्तरीय भू–गर्भीय जॉच करायें जाने के संबंध में निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई देहरादून को पूर्व में पत्र प्रेषित किया गया है। **(संलग्नक–05)**

7— आवेदक का कथन है कि प्रस्तावित क्षेत्र अनुसूचित जाति के काश्तकारों की भूमि भी है।

समिति उक्त कथन से सहमत है, अग्रेत्तर अवगत कराना है कि राजस्व अभिलेखानुसार प्रस्तावित खनन क्षेत्र में ग्राम के अनुसूचित जाति के व्यक्ति/परिवारों की भी भूमि अवस्थित है। जिसमें उक्त कृषि/काश्तकारी करते हैं। **(संलग्नक—03 के अनुसार।)**

8— आवेदक का कथन है कि उक्त क्षेत्र के ठीक नीचे रिखाड़ी बदियाकोट मोटर मार्ग भी है।

उक्त बिंदु के सम्बंध में तहसीलदार कपकोट द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र के ऊपर रिखाड़ी—वाछम मोटर मार्ग एवं नीचे की तरफ घूर—बादिया कोट मोटर मार्ग स्थित है। तहसीलदार कपकोट की रिपोर्ट संलग्न है। **(संलग्नक—03 के अनुसार।)**

9 एवं 10 —आवेदक का कथन है कि इस से पूर्व की पत्रावली में सम्बंधित विभागों के कर्मचारियों ने गलत व भ्रामक रिर्पोट दी थी जो पूर्व पत्रावली में सुरक्षित होंगे/ पूर्व पत्रावली में गलत शपथ पत्र भी संलग्न किये गये हैं।

समिति के समक्ष आवेदक द्वारा निरीक्षण के समय इस संबंध में कोई तथ्यात्मक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

11— आवेदक का कथन है कि कुल मिलाकर हम सभी काश्तकार तथा प्रस्तावित क्षेत्र के नीचे रहने वाले लोग अपने सुरक्षित भविष्य तथा पर्यावरण को मध्ये नजर रखते हुये उक्त क्षेत्र में खनन का विरोध करते हैं।

निरीक्षण के दौरान संदर्भित शिकायती स्थल पर प्रस्तावित खनन क्षेत्र के संबंध में ग्रामीणों द्वारा विरोध प्रदर्शित किया गया।

12— आवेदक का कथन है कि 02 जून, 2022 को दैनिक जागरण समाचार पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें उगियॉ गॉव के 35 परिवारों को भूस्खलन व भूकटाव के जद में आने का उल्लेख किया गया है। इस क्षेत्र में पहले भी 1.2 किमी0 जगह—जगह दरारें आ चुकी है और पिण्डर नदी के ऊपर 500 मी0 तक वर्ष 2021 में भारी भू—स्खलन आ चुका है। जिससे रूप सिंह, तार सिंह, चंदन सिंह, उमराव सिंह, नारायणी देवी आदि के मकानों को क्षति पहुॅचने की संभावना है।

कपकोट क्षेत्रान्तर्गत कर्मी, तीख, चौडा, बदियाकोट, सौराग, किलपारा आदि ग्राम उच्च हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है। उक्त क्षेत्रों में खडिया खनन (सोप स्टोन माईनिंग) हेतु प्राप्त आवेदन, प्रस्ताव पर ग्रामीणों के विरोध व स्थल की विषम भौगोलिक पारिस्थितिकी व आपदा के दृष्टिगत अतियन्त संवेदनशील होने के कारण उपजिलाधिकारी कपकोट द्वारा उच्च स्तरीय भूगर्भीय जॉच कराये जाने की संस्तुति की गयी थी तथा पूर्व में जिलाधिकारी बागेश्वर द्वारा निदेशक भू—तत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय देहरादून को पत्र प्रेषित किया गया है। **(संलग्नक—05 के अनुसार)**

(शंकर दत्त पाण्डे) वन क्षेत्राधिकारी, ग्लेशियर वन क्षेत्र कपकोट	(डा0 डी0के0 जोशी) क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी।	(मोनिका) उपजिलाधिकारी कपकोट, बागेश्वर।

संलग्नक -01

Item No. 12 Court No. 2

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 827/2022

Kailash Singh and Ors. Applicant(s)

Versus

State of Uttarakhand Respondent

Date of hearing: 06.01.2023

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE PROF. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

Application is registered based on a complaint received by post

ORDER

1. This original application has been registered under Section 14& 15 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as 'NGT Act, 2010') on a letter petition dated 21.06.2022 received from the villagers of Village Sorag, Tehsil Kapkot, District Bageshwar.

2. Grievance is that illegal mining by blasting is being carried out at Village Sorag, Tehsil Kapkot, District Bageshwar which is affecting and damaging houses of the villagers besides causing environmental hazard and also affecting more than 4000 trees standing in the area. It is also said that there is apprehension of drying of two storm water drains running in nearby area and also likely to affect grazing land of the village.

3. In our view, before taking any further action in the matter, it would be appropriate to obtain a factual report, for the purpose whereof, we constitute a committee comprising State PCB, District Magistrate,

Bageshwar and Divisional Forest Officer, Bageshwar who shall visit the site, verify the facts and file factual and action taken, if any, report within two months from today by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. Nodal agency will be the State PCB for coordination and compliance.

4. List the matter for further consideration on 21.03.2023.

5. A copy of this order along with copy of the complaint be forwarded to State PCB, District Magistrate, Bageshwar and Divisional Forest Officer, Bageshwar by email for compliance.

Sudhir Agarwal, JM

Prof. A. Senthil Vel, EM

January 06, 2023
Original Application No. 827/2022
AB

संलग्नक 802

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-827/2022 में पारित आदेश दिनांक 06.01.2023 के अनुपालन में दिनांक 02.02.2023 को प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण शिकायतकर्ता श्री कैलाश सिंह की उपस्थिति में किया गया है। निरीक्षण के दौरान निम्न अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे।

1. Monika SDM Kapkot
2. Dr. D.K. Joshi Regional Officer UKPCB, Hld
3. Pooja Sharma Tehsildar Kapkot
4- भैरव दत्त पाण्डे वनक्षेत्राधिकारी [illegible]
5. चन्द्र प्रकाश [illegible]
6 कैलाश सिंह S/o भूपाल सिंह (ग्रामवासी)
7 उमराव सिंह उप प्रधान
8 चन्दन सिंह सोराग (उनियां)
9 [signature] प्रधान *** ग्राम सभा सोराग *** वि0ख0-कपकोट (बागेश्वर)
10 प्रवीन सिंह - उनियाँ
11. मोहनी देवी उनियां
12. मेहरबान सिंह उनियां
13. आन सिंह उनियाँ
14. केहार सिंह कुनियाँ
15. माधो सिंह उनियाँ
16. गंगा सिंह
17. जगत सिंह उनियां
18. रतन लाल उनियां
19.
20. महिपाल उनियाँ

21. जीवनसिंह	उनियां	जीवनसिंह
22 हरीशचन्द्र सिंह	अनियां	Hari [signature]
23 गोपालसिंह	जमादार सिंह	गोपालसिंह
24. मोहिनात	उनियाय	मोहिनात
दानसिंह	जानियां	दानसिंह
	अनेयी	
25. C.B Joshi	Monitory Asstt	[signature]

संलग्नक-03

श्रीमान तहसीलदार महोदय
कपकोट

महोदय,

आदेश के क्रम में ग्राम सोराग तोक डुंगिया राकाढुंगा अन्तर्गत सोप-स्टोन आवेदन के क्रम में बिन्दुवार आख्या निम्न है।

-:- कि बिन्दु सं०-01 के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र ग्राम-सोराग के तोक डुंगिया उपर स्थान राकाढुंगा में प्रस्तावित है। उक्त स्थान काफी तीव्र ढालदार भूमि है जिसके नीचे ग्राम के लगभग तोक डुंगियां के काश्तकारों की कृषि भूमि अवस्थित है।

-:- कि बिन्दु सं०-03 के क्रम में प्रस्तावित खनन क्षेत्र से लगी ग्राम की [illegible] पनघट भूमि है जो ग्राम के बन्दोबस्ती भूमि अनुसार दर्ज अभिलेख है। जिसमें ग्राम के तोक डुंगिया के ग्रामवासियों के मवेशी/जानवरों का चरान स्थान है।

-:- बिन्दु सं०-04 के क्रम में प्रस्तावित खनन क्षेत्र के [illegible] वर्षभर जलप्रवाह वाले सदाबहार नाले अवस्थित है उक्त नाले के पानी का प्रयोग ग्राम वासी करते हैं। जो कि बन्दोबस्ती अभिलेखों में दर्ज अभिलेख है।

-:- कि प्रस्तावित भूमि पर प्रतापसिंह पुत्र खुशालसिंह का पक्का मकान एवं ग्रामीणों की गोशाला स्थित है। जिसमें प्रतापसिंह उपरोक्त मय परिवार निवासरत है तथा उक्त गोशाला में ग्राम वासियों के जानवर/मवेशी रहते है।

-:- प्रस्तावित खनन क्षेत्र में ग्राम के अनुसूचित जाति के व्यक्ति/परिवारों की भूमि भी अवस्थित है जिसमें उक्त कृषि/काश्त करते है।

-:- कि बिन्दु सं०-08 के क्रम में प्रस्तावित खनन क्षेत्र के उपर की तरफ रिखाड़ी-बालम मोटर मार्ग एवं नीचे की तरफ थूर-[illegible] मोटर मार्ग स्थित है।

अतः प्रकरण पर पाद आख्या बिन्दुवार सादर प्रेषित।

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र [illegible]
तहसील कपकोट
जनपद- बागेश्वर

सेवा में, उपजिलाधिकारी कपकोट

महोदय,
प्रकरण पर रा० नि० कपकोट की जांच आख्या [illegible] हेतु आपको सादर प्रेषित है।

महोदय, रा०उ०नि० कपकोट की जांच आख्या आपकी अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।

SDM
14/02/2[illegible]

Scanned with CamScanner

संलग्नक-04

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी, ग्लेशियर वन क्षेत्र, (कपकोट)

Email- glacier.range@gmail.com

पत्रांक 306 /9–1(सोपस्टोन) कपकोट दिनांक :08 /02/2023

सेवा में,

उपजिलाधिकारी

कपकोट।

विषय– जनपद बागेश्वर तहसील कपकोट के ग्राम सोराग के तोक उनिया में 7.481 है० भूमि में सोपस्टोन खनन पटटा में प्रभावित वृक्षों के संयुक्त निरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र के कम में ग्राम सोराग के तोक उनिया में संयुक्त समिति द्वारा प्रभावित वृक्षों का संयुक्त निरीक्षण व गणना शिकायतकर्ता व ग्रमीणों की उपस्थिति में राजस्व विभाग के प्रतिनिधि व वन विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया। प्रस्तावित खनन क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न प्रजाति के 96 वृक्ष तथा खनन क्षेत्र से लगी राज्य सरकार की भूमि व अन्य भूमि पर लगभग 4000 वृक्ष हैं।

अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न– संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट की मूल प्रति।

वन क्षेत्राधिकारी
ग्लेशियर वन क्षेत्र

प्रतिलिपि– श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।

वन क्षेत्राधिकारी
ग्लेशियर वन क्षेत्र

SRK
08/02/23

Scanned with CamScanner

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक 04/02/2023 को नापभूमि ग्राम पंचायत सोराग के तोक उनीया में प्रस्तावित खड़िया खनन क्षेत्र में प्रभावित वृक्षों की गणना राजस्व विभाग के प्रतिनिधि वन विभाग के प्रतिनिधि व शिकायत कर्ताओं तथा ग्रामीणों की उपस्थिति में की गई प्रस्तावित क्षेत्र में प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची निम्नानुसार है

कैलाशपुर रेंज बागेश्वर वन प्रभाग

भूमि का प्रकार	प्रजाति	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	योग
नापभूमि ग्राम सोराग तोक उनीया/रापाडुंगा	1. तिलौंज	05	07	13	08	02	03	02	03	01	44
	2. खरसौ	–	–	02	–	–	–	–	02	–	04
	3. बाँज	02	01	10	03	01	01	–	–	–	18
	4. पाँगा	–	–	–	–	–	–	–	02	–	02
	5. कैंजू	–	–	01	01	01	–	–	–	–	03
	6. मेहल	03	02	–	–	–	–	–	–	–	05
	7. उतीस	–	05	06	04	02	03	–	–	–	20
योग		10	15	32	16	06	07	02	07	01	96

नोट:- नापभूमि ग्राम पंचायत सोराग के तोक उनीया में प्रस्तावित सोपस्टोन खनन पट्टा 7.481 हैक्टेयर भूमि से लगी राज्य सरकार की भूमि व अन्य भूमि में भविष्य में लगभग 4000 वृक्षों (छोटे/बड़े) को खनन करने के उपरान्त भू धसाव व भू स्खलन से प्रभावित होने की सम्भावना है, प्रस्तावित क्षेत्र से आरक्षित वन भूमि की दूरी 0.60 किमी. है, तथा प्रस्तावित क्षेत्र से वन पंचायत की सीमा आवेदित क्षेत्र से लगी है एवं इसमें भी लगातार दस वर्षों से डंगरियों में भूस्खलन जारी है जिस कारण खनन के लिए यह क्षेत्र उचित नहीं है

(हस्ताक्षर)

वन ... सोराग / ... महतोली-कपकोट (बागेश्वर)

(हस्ताक्षर) प्रधान *** ग्राम सभा सोराग *** वि0ख0-कपकोट (बागेश्वर)

कैलाश सिंह S/o भूपाल सिंह

(हस्ताक्षर) 04/02/2023

उमेश सिंह - उपप्रधान सोराग

(हस्ताक्षर)

Kamal

दान सिंह

(राजेन्द्र सिंह गड़िया) वन दरोगा आकुई कानूनगो 04/02/2023

प्रेषक,

पंजीकृत

जिलाधिकारी
बागेश्वर।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय,उत्तराखण्ड,
देहरादून।

संख्याः– 62 /तीस– 18 /खनन/2022–23 दिनांक 22/12/ 2022

विषयः– **कपकोट क्षेत्रान्र्तगत उच्च हिमालयी क्षेत्रों के समीप खड़िया खनन हेतु प्राप्त आवेदनों में उच्चस्तरीय भू–गर्भीय जॉच कराये जाने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उपजिलाधिकारी,कपकोट के पत्र संख्या–1371/पी0ए0–खनन/2022–23 दिनांक 06 सितंबर, 2022 (छायाप्रति संलग्न)का अवलोकन करने का कष्ट करें,जिसके अंतर्गत उपजिलाधिकारी,कपकोट द्वारा निम्न तथ्यों से अवगत कराया गया हैः–

कपकोट क्षेत्रान्र्तगत ग्राम कमशः तीख, कर्मी के तोक तोली, किलपारा, सोराग के तोक उंगिया आदि स्थानों में खड़िया खनन सोपस्टोन हेतु नये आवेदन कार्यालय में प्राप्त हो रहे हैं। चूॅकि कपकोट क्षेत्रान्र्तगत उक्त ग्राम अत्यंत दूरस्थ एवं उच्च हिमालयी क्षेत्रों के समीप अवस्थित है।तहसील कपकोट के राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र कर्मी, बदियाकोट उच्च हिमालयी क्षेत्र के समीप होने के साथ ही अपार प्राकृतिक सुन्दरता से आच्छादित है। जहॉ कि भौगोलिक संरचना अत्यंत जटिल एवं पारिस्थिति अत्यंत दुर्लभ है। जहॉ एक ओर पिण्डारी, सुंदरढुंगा, मैकतोली जैसे उच्च हिमालयी पर्वत श्रेणियॉ है वहीं दूसरी ओर पिण्डारी,सुंदरढुंगा, शम्भू आदि सदावाहिनी नदियां प्रवाहित हैं, जो हमेशा से देश–विदेश के सैलानियों के आकर्षण का केन्द्र रहा है। यह स्थल विषम भौगोलिक संरचना के क्षेत्र है। जिस कारण उक्त क्षेत्र दैवीय आपदा, भूकंप व बादल फटना,भू–स्खलन की दृष्टि से अति संवेदनशील हैं। जहॉ बार–बार भू–स्खलन,बादल फटना व अन्य प्राकृतिक आपदायें पूर्व से ही घटित होती रहती हैं। वर्ष 1983 में बादल फटने से ग्राम कर्मी में भारी भू–स्खलन एवं भयानक जल स्तर बढ़ने के कारण 37 जनहानि एवं अनेकों मवेशियों की पशुहानि के साथ ही क्षेत्र में व्यापक क्षति हुई है। ग्राम कर्मी आपदा के दृष्टिगत अत्यंत संवेदनशील है,जिस कारण उक्त क्षेत्र में खड़िया खनन कार्य न किये जाने के संबंध में यहॉ के ग्रामवासियों द्वारा बार–बार शिकायतें की जा रही हैं।

वर्ष–1992–93 में ग्राम किलपारा के तोक तल्लखोला, पारखोला एवं घटगाड़ में स्वतः व्यापक भू–धसाव होने से 15 से 16 परिवार प्रभावित हुए। प्रभावित परिवारों के मकान व भूमि पूर्णतः जमींजोद होने से कुछ प्रभावित परिवारों को ग्राम फरसाली में विस्थापित किया गया तथा शेष परिवारों द्वारा ग्राम के अन्यत्र भू–भाग में अपने आवासीय भवन निर्मित किये गये हैं। वर्षाकाल में उक्त समस्त क्षेत्र अति संवेदनशील हो जाते हैं। ग्राम कर्मी के तोक लोरा व भयात में सन् 2012 में अतिवृष्टि से कृषि भूमि व आवासीय मकान क्षतिग्रस्त हो गये एवं मोटर मार्ग एवं कई पुल क्षतिग्रस्त होने से संपूर्ण ग्राम में आपदा के दृष्टिगत संवेदनशीलता में बढ़ोत्तरी हुई है। ग्राम कर्मी का तोक पैराड़ स्थानीय भाषा में भूस्खलित भूभाग जिसमें काफी वर्ष पूर्व से ही भू–धंसाव होता आ रहा है। दिनांक 09.06.2022 को ग्राम तोली मे अपर जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर की अध्यक्षता में एक जनसुनवाई आयोजित की गयी ,जिसमें वहॉ के ग्रामीणों द्वारा खड़िया खनन पर विरोध व्यक्त किया गया है।

राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र कर्मी के ग्राम दोबाड़ जो कि आपदा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है जहॉ पूर्व से ही भू–धसाव एवं भू–स्खलन की घटनायें घटित होती रहती है। जिस कारण उक्त ग्राम में भू–स्खलन होने से कतिपय परिवारों के विस्थापन की कार्यवाही वर्तमान में गतिमान है। उक्त के अतिरिक्त ग्राम चौड़ास्थल, पेठी, काफलीकभेड़ा एवं अन्य ग्रामों में पूर्व से आवेदित सोपस्टोन आवेदन लगभग 15–20 वर्षों से ग्रामीणों/जनप्रतिनिधियों

के भारी विरोध के कारण लंबित हैं। वर्ष–2013 में संपूर्ण पिण्डर घाटी एवं 2017 एवं वर्ष 2019 में ग्राम कुंवारी अंतर्गत संपूर्ण ग्राम के निचले छोर व ग्राम के ऊपरी छोर के दोनों तरफ से भूधंसाव हुआ है। उक्त ग्राम भी वर्षाकाल में आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील है। ग्राम कुंवारी में वर्ष 2013 से आतिथि तक भू–स्खलन अनवरत् रूप से हो रहा है, जिस कारण वर्तमान में संपूर्ण ग्राम में विस्थापन की कार्यवाही गतिमान है। उक्त क्षेत्र वर्तमान में दैवीय आपदा/भूस्खलन आदि के दृष्टिगत अतिसंवेदनशील है।

उपजिलाधिकारी,कपकोट द्वारा उक्त के अतिरिक्त अपनी आख्या में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कपकोट क्षेत्रान्तर्गत कर्मी,तीख,चौड़ा,पेठी,बदियाकोट,सोराग,किलपारा,कुंवारी,काफलीकमेड़ा आदि ग्राम उच्च हिमालयी क्षेत्र के समीप अवस्थित है एवं विषम भौगोलिक/आपदा के दृष्टिगत अत्यधिक संवेदनशील हैं और यहॉ पर विभिन्न प्रकार की दुर्लभ हिमालयी प्राकृतिक सम्पदा, जड़ी–बूटी होने के साथ ही जीव–जंतु आदि निवासरत हैं तथा कई हिमालयी नदियों का उद्‌गम स्थल अवस्थित है,जिस कारण उक्त क्षेत्रों में पूर्व से ही स्वतः भू–स्खलन,भूकंप एवं बादल फटने आदि अनेक घटनाएं घटित होती रहती है। यहॉ पर पूर्व में व्यापक जानमाल की हानि भी हुई है। प्रत्येक वर्ष वर्षाकाल एवं बर्फबारी से उक्त क्षेत्रों में सड़कों के बंद होने व पैदल पुल आदि भौतिक/मूलभूत संरचनाओं के क्षतिग्रस्त होने से प्रायः आवागमन बाधित होता है। ऐसे में उक्त हिमालयी क्षेत्रों में खड़िया खनन संबंधित किसी भी प्रकार की गतिविधि किये जाने से दुर्लभ हिमालयी प्राकृतिक सम्पदा के नष्ट होने ,भू–स्खलन,जानमाल के प्रभावित होने की संभावना बनेगी। परिणामतः उक्त उच्च हिमालयी क्षेत्रों के समीप अवस्थित खड़िया खनन संबंधित आवेदनों में उच्चस्तरीय भू–गर्भीय जॉच किया जाना नितांत आवश्यक है।

अतः उपजिलाधिकारी,कपकोट की आख्या दिनांक 06 सितंबर, 2022 की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्तानुसार कपकोट क्षेत्रान्तर्गत कर्मी, तीख, चौड़ा, पेठी, बदियाकोट, सोराग, किलपारा, कुॅवारी, काफलीकभेड़ा आदि ग्राम जो उच्च हिमालयी क्षेत्र के समीप अवस्थित होने के साथ ही विषम भौगोलिक एवं आपदा के दृष्टिगत अत्यंत संवेदनशील है,में खड़िया खनन संबंधित आवेदनों में उच्चस्तरीय भू–गर्भीय जॉच हेतु निदेशालय स्तर से समिति गठित करने का कष्ट करें।

<u>संलग्न–यथोक्त।</u>

भवदीया,

(अनुराधा पाल)
जिलाधिकारी,बागेश्वर।

प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, औद्योगिक विकास (खनन)अनुभाग–1,उत्तराखण्ड शासन,देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपजिलाधिकारी,कपकोट।
3. उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक,भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,जनपद बागेश्वर।

(अनुराधा पाल)
जिलाधिकारी,बागेश्वर।

वर्ष 22-23
विभाग XXX
पत्रावली संख्या 18
62
62
22-12-22

3518
27/12/22

कार्यालय उपजिलाधिकारी कपकोट, जनपद बागेश्वर।

संख्या 1371 /पी0ए0–खनन/2022–23 दिनांक 06 सितम्बर, 2022

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

विषयः– **कपकोट क्षेत्रान्तर्गत उच्च हिमालयी क्षेत्रों के समीप खड़िया खनन हेतु प्राप्त आवेदनों में उच्च स्तरीय भू–गर्भीय जॉच कराये जाने के संबंध में।**

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है, कि कपकोट क्षेत्रान्तर्गत ग्राम क्रमशः तीख, कर्मी के तोक तोली, किलपारा, सोराग के तोक उंगिया आदि स्थानों में खडिया खनन (सोपस्टोन) हेतु नये आवेदन कार्यालय में प्राप्त हों रहे है। चूकि कपकोट क्षेत्रान्तर्गत उक्त ग्राम अत्यन्त दूरस्थ एवं उच्च हिमालयी क्षेत्रों के समीप अवस्थित है। तहसील कपकोट के राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र कर्मी, बदियाकोट उच्च हिमालयी क्षेत्र के समीप होने के साथ ही अपार प्राकृतिक सुन्दरता से आच्छादित है। जहॉ कि भौगोलिक संरचना अत्यंत जटिल एवं पारिस्थितिकी अत्यंत दुलर्भ है। जहॉ एक ओर पिण्डारी, सुन्दरढुगा, मैकतोली जैसे उच्च हिमालयी पर्वत श्रेणीया है। वही दूसरी ओर पिण्डर, सुन्दरढुगा, शम्भू आदि सदावाहिनी नदिया प्रवाहित है, जो हमेशा से देश–विदेश के सैलानियों के आर्कषण का केन्द्र रही है। उक्त स्थल विषम भौगोलिक संरचना के क्षेत्र है। जिस कारण उक्त क्षेत्र दैवीय आपदा, भूकम्प व बादल फटना, भू–स्खलन की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। जहॉ बार–बार भू–स्खलन, बादल फटना व अन्य प्राकृतिक आपदाये पूर्व से ही घटित होती रही है। वर्ष 1983 में बादल फटने से ग्राम कर्मी में भारी भू–स्खलन एवं भयानक जल स्तर बढ़ने के कारण 37 जनहानि एवं अनेको मवेशियों की पशुहानि के साथ ही क्षेत्र में व्यापक क्षति हुई। तद्समय से आतिथि तक उक्त क्षेत्र अन्तर्गत भूस्खलन, बादल फटने, बाढ आदि का खतरा निरन्तर बना हुआ है। ग्राम कर्मी आपदा के दृष्टिगत अत्यंत संवेदशील है। जिस कारण उक्त क्षेत्र में खड़िया खनन कार्य न किये जाने के संबंध में निवासरत ग्रामवासियों द्वारा अनेक शिकायती पत्र इस कार्यालय में प्राप्त हुऐ है। जो संलग्न पत्रावली है।

वर्ष 1992–93 में ग्राम किलपारा के तोक तल्लखोला, पारखोला एव घटगाड़ में स्वतः व्यापक भू–धसाव होने से 15 से 16 परिवाार प्रभावित हुऐ। प्रभावित परिवारों के मकान व भूमि पूर्णतः जमीजोद होने से कुछ प्रभावित परिवारों को ग्राम फरसाली में विस्थापित किया गया तथा शेष परिवारों द्वारा ग्राम के अन्यत्र भू–भाग में अपने आवासीय भवन निर्मित किये गये है। वर्षाकाल में उक्त समस्त क्षेत्र अति संवेदनशील क्षेत्र है। ग्राम कर्मी के तोक लोरा व भयात में सन 2012 में अतिवृष्टि से कृषि भूमि व आवासीय मकान क्षतिग्रस्त हो गये एवं मोटर मार्ग एवं कई पुल क्षतिग्रस्त होने से सम्पूर्ण ग्राम में आपदा के दृष्टिगत संवेदनशीलता में बढोत्तरी हुयी है। ग्राम कर्मी का तोक पैराड़ (स्थानीय भाषा में भूस्खलित भूभाग) जो काफी वर्ष पूर्व से ही जिसमें भू–धसाव होता आ रहा है। अवगत कराना है कि दिनांक 09.06.2022 को ग्राम तोली में अपर जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में एक जनसुनवाई आयोजित की गयी थी। जिस पर निवासरत ग्रामीणों द्वारा जन सुनवाई के दौरान भी खडिया खनन पर विरोध व्यक्त किया गया है।

क्रमशः....02

Scanned with CamScanner

राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र कर्मी के ग्राम दोबाड जो कि आपदा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है जहाँ पूर्व से ही भू–धसाव एवं भू–स्खलन की घटनाये घटित होती रहती है जिस कारण उक्त ग्राम में वर्तमान में भू–स्खलन होने से कतिपय परिवारों की विस्थापन की प्रक्रिया गतिमान है। उक्त के अतिरिक्त ग्राम चौडास्थल, पेठी, काफलीकमेड़ा एवं अन्य ग्रामों में पूर्व में आवेदित सोपस्टोन आवेदन लगभग 15–20 वर्षो से ग्रामीणों/जनप्रतिनिधियों के भारी विरोध के कारण वर्तमान तक लम्बित होना अथवा निरस्त किया जाना विदित है। वर्ष 2013 मे सम्पूर्ण पिण्डर घाटी एवं 2017 एवं वर्ष 2019 में ग्राम कुंवारी अन्तर्गत सम्पूर्ण ग्राम के निचले छोर व ग्राम के ऊपरी छोर के दोनो तरफ से भूधसॉव हुआ है। उक्त ग्राम वर्षाकाल में आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील है। ग्राम कुँवारी में वर्ष 2013 से आतिथि तक भू–स्खलन अनवरत् रूप से हो रहा है जिस कारण वर्तमान में सम्पूर्ण ग्राम में विस्थापन की कार्यवाही गतिमान है। उक्त क्षेत्र वर्तमान में भी दैवीय आपदा, भूस्खलन आदि घटनाओं के दृष्टिगत अतिसंवेदनशील है।

महोदया चूंकि कपकोट क्षेत्रान्तर्गत कर्मी, तीख, चौडा, पेठी, बदियाकोट, सोराग, किलपारा, कुँवारी, काफली कमेडा आदि ग्राम उच्च हिमालयी क्षेत्र के समीप अवस्थित होने के साथ ही विषम भौगोलिक एवं आपदा के दृष्टिगत अत्यधिक संवेदनशील है। जहॉ पर विभिन्न प्रकार की दुर्लभ हिमालयी प्राकृतिक सम्पदा, जड़ी–बूटी, जीव–जन्तु आदि निवासरत है, एवं कई हिमालयी नदियों का उदगत स्थल अवस्थित है। जिस कारण उक्त क्षेत्रों में पूर्व से ही स्वतः भू–स्खलन, भूकम्प एवं बादल फटने आदि अनेक घटनाऐ घटित होती रहती है। जिस कारण पूर्व में भी व्यापक जानमाल की हानि भी हुई है। प्रत्येक वर्ष वर्षाकाल एवं बर्फबारी से उक्त क्षेत्रों में कई सड़कों के बंद होने एवं पैदल पुल आदि भौतिक/मूलभूत संरचनाओं के क्षतिग्रस्त होने से प्रायः आवागमन बाधित होता है। ऐसे में उक्त हिमालयी क्षेत्रों में खड़िया खनन संबंधित किसी भी प्रकार की गतिविधि किये जाने से दुर्लभ हिमालयी प्राकृतिक सम्पदा के नष्ट होने व भू–स्खलन, जानमाल के प्रभावित होने की सम्भावना बनेगी। जिस कारण उक्त उच्च हिमालयी क्षेत्रों के समीप अवस्थित खडिया खनन संबंधित आवेदनों में उच्च स्तरीय भू–गर्भीय जॉच किया जाना नित्यांत आवश्यक है। तदोपरान्त प्राप्त आवेदनों पर उच्च स्तरीय भू–गर्भीय जॉच के अनुसार ही निर्णय लिया जाना उचित होगा।

अतः उक्तानुसार आख्या सादर सेवा मे प्रेषित।

संलग्न :– उक्तानुसार।

भवदीय,

उपजिलाधिकारी,
कपकोट।

Scanned with CamScanner